न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या—460 / 2026

1. राहूल कुमार उर्फ झुन्नू पिता निवास सिंह।
साकिनान— रसौली,थाना—हसन बाजार,जिला—भोजपुर।
—————— अभियुक्त।

आवेदक की ओर से— श्री नवाव लाल यादव, अधिवक्ता।
अभियोजन की ओर से —श्री रामकेश्वर प्रसाद, लोक अभियोजक।

आदेश

16.04.2026 परिवाद संख्या—470 / 2025 धारा— 85,3(5)बी.एन.एस. व 3 / 4 दहेज अधिनियम से संबंधित है, के याची अभियुक्त की ओर से यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

इस जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस अग्रिम जमानत आवेदन के पूर्व ना ही सत्र न्यायालय और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

संक्षेप में सूचिका का कथन है कि प्रार्थीनी के पिता की मृत्यु के बाद प्रार्थीनी के बड़े भाई अविनाश राज ने प्रार्थीनी की शादी दिनांक—23.04.2024 को हिन्दू रीति—रिवाज से अभियुक्त राहुल कुमार के साथ किये। शादी में प्रार्थीनी के भाई उपहार स्वरूप नगद 6,00,000 / — रू0 एवं 1,50,000 / —रू0 अभियुक्त राहुल कुमार के खाता में प्रार्थीनी के भाई द्वारा दिया गया था एवं उपहार स्वरूप एक सेट पीतल, एक सीट स्टील, पलंग बगैरह करीब दो लाख का सामान भी दिया गया। प्रार्थीनी को अभियुक्तगण कुछ दिन ठीक—ठाक से रखे, के बाद तरह—तरह से प्रताड़ित करने लगे एवं मारपीट भी करने लगे। बोले कि दहेज में मोटरसाईकिल मांगकर लाओ, नहीं तो यहॉ रहना मुश्किल कर देंगे, तब मैं बोली कि मेरे पिता नहीं हैं, अब भाई कहॉ से देंगे, इसी बात पर अभियुक्तगण प्रार्थीनी को जान मारने की नियत से शरीर पर मिट्टी तेल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास किये और मारपीट व गाली—गलौज कर घर से भगा दिये, किसीतरह मायके आयी, परन्तु दिनांक—15.05.2025 को अभियुक्तगण आकर मारपीट व गाली—गलौज किये, जिसकी सूचना नौबतपुर थाना को दिया गया। दारोगा जी बोले कि पति—पत्नी का विवाद है न्यायालय में जाकर मुकदमा कीजिए, तब न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किये। उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

सुना। मूल अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक प्रार्थीनी का पति है। संक्षेप में यह मामला

लगातार
16.04.2026

आवेदकगण द्वारा प्रार्थीनी को जान मारने की नियत से शरीर पर किरासन तेल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास करने, दहेज में मोटरसाईकिल की मांग करने, मारपीट व गाली–गलौज, प्रताड़ित कर घर से भगा देने का आरोप है। अपराध गंभीर प्रकृति का है।

अवएव मामले के तथ्यों व अपराध की गंभीरता को देखते हुये उक्त अभियुक्त को अग्रिम जमानत देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, उनके तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है। कार्यालय आदेश की प्रति विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित करें।

लेखापित,
Sd/-

अ0स0न्याया0,पंचम,दानापुर।